पत्रांक 1/प्रा0आ0-0-3-42/2013....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

विषयः माह जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मानदर निर्धारित है। वर्त्तमान मे राज्य के बाहर घटित घटनाओं के लिए अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निदेश नहीं है। हाल में उतराखंड राज्य में घटित घटना में बिहार के बहुत से निवासी मृत/घायल हुए है। उक्त घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देना समीचीन है।

2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये) का अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाय। उक्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(i) मृतकों के परिजनों से मृत्यु की सूचना उतराखंड से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ प्राप्त होने की स्थिति में उचित पहचान कर संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) परन्तु ऐसे मामले जिनमें मृत्यु प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं हो, के संबंध में मृतक के परिजनों से मृत्यु संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में उक्त व्यक्ति के उतराखंड में प्राकृतिक आपदा में मृत होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित करायी जायेगी तथा 30 दिनों तक प्रतीक्षा की जायेगी। उक्त अवधि में संबंधित व्यक्ति के जीवित होने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस पर हुई व्यय की राशि राज्य कोष से वहन की जायेगी एवं मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 02– बाढ़ चक्रवात

आदि , लघु शीर्ष–101– अनुग्रहिक राहत, समूह शीर्ष– गैर योजना के अन्तर्गत 'उप शीर्ष– 0015– राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान से विकलनीय होगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय प्रेस, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रति मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2881/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/7/13

प्रतिलिपिः विभागीय सभी पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव